झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

चतुर्दश सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न शनिवार,दिनांक– 11श्रावण,1936 {श0} / 02 अगस्त,2014{ई0} को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगेः–

क.सं.	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01	अ0सू0–10	श्री निजामउद्दीन अंसारी	अतिक्रमण मुक्त कराना।	राजस्व एवं भूमि	29.07.14
02	अ0सू0–12	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	सरकारिता	29.07.14
03	अ0सू0–19	श्री एनोस एक्का	विद्युतीकरण की व्यवस्था।	ऊर्जा	29.07.14
04	अ0सू0–09	श्री अकिल अख्तर	विद्युत की आपूर्ति।	ऊर्जा	29.07.14
05	अ0सू0–15	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी	छात्रवृति देना।	कल्याण।	29.07.14
06	अ0सू0–29	श्री चन्द्रिका महथा	पावर ग्रीड का निर्माण।	ऊर्जा	29.07.14
07	अ0सू0–18	श्री अरविन्द कु0 सिंह	केनाल का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	29.07.14
08	अ0सू0–30	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना।	खाद्य सार्वजनिक	29.07.14
09	अ0सू0–20	श्री एनोस एक्का	विद्युत पावर स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	29.0714
10	अ0सू0–23	श्री ढुंलू महतो	भू–स्वामियों को हक दिलाना।	राजस्व एवं भूमि	29.07.14
11	अ0सू0–28	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	बकाया राशि का भुगतान।	कल्याण	29.07.14
12	अ0सू0–04	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	किसानों को राहत देना।	कृषि	24.07.14
13	अ0सू0–05	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	पशुपालन	24.07.14
14	अ0सू0–07	श्री अमित कु0 यादव	लगान का निर्धारण।	राजस्व एवं भूमि	25.07.14

कृ0पृ0उ0...../–

15-अ0सू0-27	श्री प्रदीप यादव	प्रावधान के अनुरूप नामकरण।	खाद्य सार्वजनिक	29.07.14
16-अ0सू0-02	श्री प्रदीप यादव	अनुदान देना।	कल्याण	24.07.14
17-अ0सू0-21	श्री मिस्त्री सोरेन	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कृषि	29.07.14
18-अ0सू0-25	श्री विनोद कु0 सिंह	समिति का गठन।	राजस्व एवं भूमि	29.07.14
19-अ0सू0-08	श्री रघुवर दास	मालिकाना हक दिलाना।	राजस्व एवं भूमि	29.07.14
20-अ0सू0-16	श्री अरूप चटर्जी	पर्यवेक्षिकाओं का स्थायीकरण।	कल्याण	29.07.14
21-अ0सू0-06	श्री बंधु तिर्की	छात्रवृति का भुगतान।	कल्याण	24.07.14
22-अ0सू0-26	श्री अरूप चटर्जी	सेवा नियमित करना।	ऊर्जा	29.07.14
23-अ0सू0-17	श्री अरविन्द कु0 सिंह	विद्युत की आपूर्ति।	ऊर्जा	29.07.14
24-अ0सू0-14	श्री निजामउद्दीन अंसारी	लाईन का विस्तार।	ऊर्जा	29.07.14
25-अ0सू0-22	डॉ0 सरफराज अहमद	बिजली बिल में एकरूपता।	ऊर्जा	29.07.14
26-अ0सू0-11	श्री रामचन्द्र बैठा	आजीविका प्रदान करना।	कल्याण	29.07.14
27-अ0सू0-13	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी	शीत गृह का निर्माण।	कल्याण	29.07.14
28-अ0सू0-01	श्री नलिन सोरेन	ट्रांसफार्मर लगाना।	ऊर्जा	24.07.14
29-अ0सू0-03	श्री नलिन सोरेन	नहर का पक्कीकरण।	जल संसाधन	24.07.14
30-अ0सू0-24	श्री ढुलू महतो	मुआवजा देना।	कृषि	29.07.14

रॉंची,
दिनांक-02 अगस्त,2014(ई0।)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-09/2010.....1524...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः-.....30/7/14.....जुलाई,2014ई0।
प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.07.14
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-09/2010.....1524...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः-.....30/07/.....जुलाई,2014ई0।
प्रतिलिपिः-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय, अपर सचिव(प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

30.07.14
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

30/07

राजेन्द्र/-

1

माननीय स0 वि0 स0 श्री निजामुद्दीन अंसारी द्वारा पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का प्रश्नोत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	माननीय स0 वि0 स0, श्री निजामुद्दीन अंसारी द्वारा पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10	माननीय मंत्री (प्रभारी), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:–	
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अंतर्गत अंचल सदर राँची के मौजा बरियातू थाना सं0–193, प्लॉट सं0–7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 एवं 19 गैर मजरूआ सरकारी जमीन है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर सरकारी सेवारत रसूखदार लोगों द्वारा अवैध ढंग से अतिक्रमण कर ऊँची–ऊँची इमारत बनाकर दबंगता पूर्वक निवास कर रहे है तथा विभाग एवं प्रशासन मौन है।	उपायुक्त, राँची के द्वारा विषयगत भूमि की जाँच करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सरकारी गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	जाँचोपरांत नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–6/स0भू0वि0स0 (अ0सू0)–102/14...2079/रा0 राँची, दिनांक– 01-08-14

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1475 वि0स0 दिनांक–29.07.14 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2014
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार

सहकारिता विभाग

(2)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर (उत्तर की तिथि 02.08.2014)

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सहकारिता विभाग के 309 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 19 वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी एवं 84 लिपिकों का स्थानान्तरण निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची के आदेश संख्या 1503, 1504 एवं 1498 दिनांक 20.06.2014 के द्वारा किया गया है ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या है यह बात सही है कि उपर वर्णित स्थानान्तरण आदेश में दिनाक 30.06.2014 से स्वतः विरमित किया गया है जबकि प्रावधानन्तर्गत एक माह अग्रिम वेतन एवं स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम नहीं दिया गया है, एकमुश्त बड़े तदात में स्थानान्तरित कर्मियों को यात्रा भत्ता देने का बजटीय उपबंध नहीं है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित स्थानान्तरण आदेश निबंधक, सहयोंग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 1503, 1504 दिनांक 20.06.2014 के द्वारा दिनांक 30.06.2014 से स्वतः विरमित किया गया है। प्रासंगिक स्थानान्तरण आदेश के अनुपालनोपरान्त स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा समर्पित विपत्रों के आधार पर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता भुगतान संबंधित कार्यालय से किया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित आदेश के द्वारा निलंबित एवं सेवानिवृत्त सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का भी स्थानान्तरण किया गया है ?	वर्णित आदेश में मानवीय भूलवश एक निलंबित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का तथा दो सेवानिवृत्त सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का शामिल हो गया था जिसका सुधार निबंधक, सहयोग समितियाँ के आदेश ज्ञापांक 1760 दिनांक 18.07.2014 के द्वारा कर दिया गया है।
4.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार स्थानान्तरण में हुई गड़बड़ी की जॉच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस सम्बन्ध में उपरोक्त कण्डिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० वि० स०– 126/2014 2641 **/राँची, दिनांक–** 3/7/14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 1488 दिनांक 29.07.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

y 2014

श्री एनोस एक्का, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू० –19 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री एनोस एक्का, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा जिले के बालवा एवं केरसई प्रखण्ड में अब तक विद्युत संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बोलवा प्रखण्ड में 1x3.15 MVA Power Transformer दिनांक 28.06.2014 को डी0वी0सी0 द्वारा चार्ज कर दिया गया है एवं इस पी0एस0एस0 से तीन गांव विद्युत बहाल है। शेष 22 गांवों में कार्य लगभग पूर्ण है, एवं अगले तीन माह में इनकी भी विद्युत आपूर्ति इस पी0एस0एस0 से बहाल कर ली जाएगी। केरसई प्रखण्ड के 08 गांव पूर्व से उर्जान्वित है तथा शेष गांव कुरडेग पी0एस0एस0 1x3.15 MVA Power Transformer से किया जाना है, जो बनकर तैयार है तथा टेस्टिंग स्टेज में है। 45 गांव में विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूर्ण है जिनमें चोरी एवं आंधी से बर्बाद लाईन का मरम्मत का कार्य चालू है एवं अगले 03 माह में इनकी विद्युत आपूर्ति इस नये पी0एस0एस0 से बहाल कर ली जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कपाली क्षेत्र में पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दोनों प्रखण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य आर0जी0जी0वी0वाई0 योजना के तहत डी0वी0सी0 के तहत किया जा रहा है। योजनान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य अगले तींन माह में पूर्ण कर ली जायेगी। शेष बचे ग्रामों का विद्युतीकरण 12वीं योजना में पूर्ण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1664 /

दिनांक 01-08-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/14

सरकार के उप सचिव

(4)

श्री अकिल अख्तर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–09 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अकिल अख्तर, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में ग्रीड होने के बावजूद भी मांग के अनुरूप दोनों जिलों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ ग्रीड से पाकुड़ ग्रामीण सब–स्टेशन एवं पथरिया सब–स्टेशन में चेयरमैन, झारखण्ड विद्युत बोर्ड एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के लिखित निर्देश के बावजूद भी उक्त दोनों सब–स्टेशनों में क्रमशः 20 मेगावाट एवं 07 मेगावाट बिजली स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं दी जा रही है, जिसके चलते मेरे विधान–सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यन्त दयनीय है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पाकुड़ ग्रीड द्वारा उपरोक्त दोनों सब–स्टेशनों को लिखित निर्देश के अनुरूप क्रमशः 20 मेगावाट एवं 07 मेगावाट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	फरक्का एवं कहलगांव से माँग के अनुरूप बिजली की उपलब्धता रहने पर पथरिया सब–स्टेशन को 07 मेगावाट एवं 33 के0भी0 पाकुड़ सब–स्टेशन को 10–12 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावे पश्चिम बंगाल से पाकुड़ ग्रीड को 08 मेगावाट विद्युत उपलब्ध रहती है। जिसे आवश्यकता अनुसार बिजली वितरण विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1667 / दिनांक 01-08-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/14

सरकार के उप सचिव

(5)

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0– 15 दिनांक 02.8.14 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री ।

क0 सं0	प्रश्न	माननीय मंत्री कल्याण का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिले में स्थित Govt.Engineering College Ramgarh में payment seat एवं free seat पर नामांकित ST,SC,BC1 एवं BC2 के छात्र–छात्राओं के द्वारा e-kalyan के तहत छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र कल्याण विभाग को दिया गया है,	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान में नामांकित ST,SC,BC1 एवं BC2 के छात्र–छात्राओं के द्वारा छात्रवृति का आवेदन देने के बावजूद उक्त छात्र–छात्राओं को छात्रवृति नहीं दी गई है। छात्रवृति नहीं मिलने के कारण उक्त संस्थान में पढ़ने वाले कई गरीब छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ रहे है।	Free seat पर नामांकित ST,SC,BC1, एवं BC2 के 26 छात्र–छात्राओं को छात्रवृति की राशि,भुगतान हेतु संबंधित छात्र–छात्राओं के खाते में भेजी जा चुकी है। Payment seat के आधार पर नामांकित ST,SC,BC1 एवं BC2 के छात्र–छात्राओं के छात्रवृति भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त कोटि के छात्र–छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में छात्रवृति देने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक , नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2013–14 तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति अन्तर्गत बकाया राशि का भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त आवंटन की मॉग की गई है। आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–4 / वि0स0प्र0छात्रवृति– 05 /2014–क0– 1740 रॉची, दिनांक– 01/08/14

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञापांक 1469 दिनांक– 29.7.14 के प्रसंग में दो सौ अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

1/8/14
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(6)

श्री चन्द्रिका महथा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–29 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री चन्द्रिका महथा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत देवरी प्रखण्ड में नेपुरा पंचायत स्थित देवपहाड़ी ग्राम में 4.39 एकड़ गैर मजरूआ सरकारी जमीन 220/132/33 पावर ग्रिड निर्माण हेतु उपलब्ध है; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पावर ग्रिड को नेकपुरा ग्राम में निर्माण कराने से उक्त पावर ग्रिड को गिरिडीह एवं तिलैया पावर ग्रिड स्टेशन दोनों से बिजली आपूर्ति करने का विचार रखती हैं; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थल पर पावर ग्रिड का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	ज्ञात हो कि 220/132/33 के0वी0 पावर ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण के लिए कम से कम 12 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। जिसके लिये निगम पदाधिकारियों एवं गिरिडीह जिला प्रशासन के सहयोग से करहाबाड़ी ग्राम में 20 एकड़ गैर मजरूआ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड की चौथे बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स की बैठक दिनांक 15.07.14 में 220/132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन गिरिडीह एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था। अनुमोदन एवं 2014–15 में राशि उपलब्धता के अनुरूप निविदा प्रकाशित कर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1663 / दिनांक 01-08-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/14

सरकार के उप सचिव

(7)

माननीय स०वि०स०, श्री अरविन्द कुमार सिंह के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० – 18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चांडिल अनुमण्डल के ईचागढ़ प्रखंड अन्तर्गत सिंचाई हेतु निर्मित 2 (दो) केनाल सालूडीह से हड़ात एवं लावा से पुरानडीह अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है, जिस कारण पचास हजार एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। पिछले वर्ष आंशिक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में दोनों केनाल का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इन शाखा नहरों से सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक सम्पोषण मद से कार्य कराया जा रहा है। बजट में राशि उपलब्ध होने पर पुनर्स्थापन कार्य हेतु आगे की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–24/14 – 7476 **/राँची, दिनांक** 1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1489 दिनांक 29.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(8)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 02.08.2014 को पूछा जानेवाला अ०सू० संख्या–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री लोबिन हेम्ब्रम
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून पड़ोसी राज्य बिहार, छत्तीसगढ़ एंव उड़ीसा में लागू है;	प्राप्त सूचनानुसार बिहार में फरवरी 2014 से तथा छत्तीसगढ़ में जनवरी 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है। उड़ीसा में यह लागू नहीं किया गया है।
2– क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू होने के कारण झारखण्ड की 86% ग्रामीण व 56% शहरी आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् सस्ते अनाज से वंचित है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में राज्य के लक्षित 14,76,100 बी०पी०एल० परिवारों, 9,17,900 अन्त्योदय परिवारों, 11,15,833 अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों तथा 19,62,000 ए०पी०एल० परिवारों कुल 54,71,833 परिवारों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का लाभ पहुँचाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत हाउस होल्ड साईज के आधार पर अधिकतम 50,08,304 परिवार आच्छादित किये जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बी०पी०एल०, अन्त्योदय तथा अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों को 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 3.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
3– क्या यह बात सही है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन तथा प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार झारखण्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2014 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ज्ञापांक :– खा०प्र0–6–10 (विधान सभा)–53 / 2014 – 2237 /राँची, दिनांक – 31.07.14

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 1485 वि0स0, दिनांक 29.07.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14
सरकार के सचिव।

(9)

श्री एनोस एक्का, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री एनोस एक्का, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा जिले में विद्युत पावर ग्रीड स्टेशन का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा है;		अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत पावर ग्रीड स्टेशन नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को बिजली की समस्या से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सिमडेगा जिले के विद्युत पावर स्टेशन को अतिशीघ्र पूर्ण करने पर विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?		सिमडेगा जिले में 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसे 33 के0वी0 वोल्टेज से दिनांक 24.12.2013 को बैक चार्ज भी किया जा चुका है। ग्रिड को 132 के0वी0 वोल्टेज लेवल से उर्जान्वित करने हेतु दो संचरण लाईन यथा गुमला से सिमडेगा एवं मनोहरपुर से सिमडेगा का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसमें से एक गुमला–सिमडेगा संचरण लाईन का निर्माण कार्य wild life zone होने के कारण बंद पड़ी है। लाईन के route diversion हेतु प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो चुकी है तथा forest clearance हेतु प्रस्ताव वन विभाग के पास लंबित है। Forest clearance प्राप्त होते ही लाईन का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा जिसे अगले 06 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रहेगा। दूसरे संचरण लाईन मनोहरपुर से सिमडेगा का निर्माण कार्य मेसर्स पावरग्रिड द्वारा कराया जा रहा है जिसे दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1668 / दिनांक 01-08-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/14

सरकार के उप सचिव

श्री ढुलू महतो, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–23 का पश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0, से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ.सू.–23		श्री माननीय मंत्री (प्रभारी) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि कोयला कंपनी (भा.को.को.लि.) द्वारा परियोजना विस्तार हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है,		आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि बहुत से स्थानों पर बगैर मुआवजा और नियोजन दिए किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और पीड़ित परिवार अपने हक को माँगने हेतु दर–दर भटक रहे हैं,		सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि ऐसे मामलों में कोयला कंपनी द्वारा उल्टा भू–स्वामियों पर मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें परेशान किया जाता है,		सामान्यतः कोल कंपनियों द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण Coal Bearing Areas Act, 1957 के तहत किया जाता है। इस अधिग्रहण में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है। राज्य सरकार के समक्ष भू–स्वामियों की भूमि जबरन अधिग्रहण करने, मुआवजा भुगतान नहीं करने, मुकदमा दर्ज करने आदि के संबंध में कोई परिवाद/आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त होने पर सरकार द्वारा भारत सरकार को अवगत कराते हुए संबंधित कोल कंपनियों से सम्पर्क स्थापित कर विवादों के निष्पादन का प्रयास करेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने तथा जबरन भूमि अधिग्रहण की रोकथाम करने हेतु कोयला कंपनी पर कार्रवाई एवं भू–स्वामियों को उनका हक दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10बी./भू.अ.नि वि.स. (अ.सू.)–115/2014....283.../नि.रा., राँची, दिनांक–01-08-1

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1473, दिनांक–29.07.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/विभागीय प्रषाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/2014
सरकार के उप सचिव

Vidhan.Sabha-13(Manoj)

11

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई जिलों जैसे–गिरिडीह, देवघर, धनबाद, कोडरमा, राँची, हजारीबाग, बोकारो, खूँटी, गोड्डा, जामताड़ा, चाईबासा एवं गढ़वा इत्यादि में विगत 02 (दो) वर्ष से विकलांगों को राज्य सरकार से मिलने वाली भत्ता बन्द है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी संबंधित जिलों में विकलांगों को प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि विकलांग भत्ता मद में राशि उपलब्ध होने के बावजूद सरकार के लापरवाही से खण्ड (1) में वर्णित जिलों के विकलांग उक्त लाभ से अबतक वंचित है;	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो सरकार खण्ड (1) में वर्णित जिलों के विकलांगों को उक्त भत्ता की बकाया राशि का भुगतान एक माह के अन्दर करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। अतः इसकी आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क०/वि0स0 अल्पसूचित – 343/2014– 1479 राँची, दिनांक : 31 जुलाई/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० –1471 वि० स० दिनांक –29.07.2014 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/14
(कंचन अंजली मुण्डू)
सरकार के उप सचिव।

(12)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक-02.08.2014 को झारखण्ड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 04 का उत्तर सामग्रीः-

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

कमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कम वर्षा के कारण अधिकांश जिलों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है;	जून 2014 से 31.07.2014 तक राज्य में सामान्य वर्षापात के तुलना में केवल 79.00 प्रतिशत वर्षा हुआ है। 31.07.2014 तक धान का 35.69, मक्का का 74.27, दलहन का 42.11 एवं तेलहन का 31.37 प्रतिशत आच्छादन हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि कम वर्षा एवं सरकार द्वारा समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण खरीफ फसल पर बूरा असर पड़ा है;	कम वर्षा के कारण खरीफ फसल का आच्छादन प्रभावित हुआ है। जबकि बीज का वितरण समय पर किया गया है।
3	अगर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य को सुखाड़ घोषित कर किसानों को राहत देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार भारत सरकार के द्वारा तय मानकों का अध्ययन करने के उपरान्त आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है।

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0अ0सू0प्र0-40/14- 2294 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0-1301 दिनांक-24.07.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-8-14

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0अ0सू0प्र0-40/14- 2294 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव,कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-8-14

सरकार के संयुक्त सचिव

13

श्री सतेन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 05 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
माननीय श्री सतेन्द्र नाथ तिवारी स0 वि0 स0	माननीय श्री मन्नान मल्लिक मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में मछली का जीरा डालने के नाम पर 20.00 लाख रू0 की निकासी की गई किन्तु किसी भी तालाब में मछली का जीरा नहीं डाला गया :	उत्तर – आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित कार्य में जिला मत्स्य पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा जलाशयों में मछली का जीरा के स्थान पर मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु मात्र 16.40 लाख रु0 की निकासी की गई है। 1) गढ़वा जिले के कुल 35 जलाशयों – अन्नराज, वीर बंधा, बाघी, गोड़ानाला, तंकबजवा, बलहा, बलही, तरकेगोड़ा, खालरा, सोहबरिया, रोहनरिया, झकीगॉवा, खरसौता, जरही, बभनीखान, पंडरवा, बाचाबाकी, धनकैत, उदही, शिवबांध, भौरी, मानपुर, रेधवा, चिड़का, सरायडीह, बनकेता, बिरहा, खैरानाला, जाहरसराय, पनघटवा, चटनिया, झकीगॉवा, चुटिया और हदहदवा के 6750 हेक्टेयर जलक्षेत्र में 32 लाख 80 हजार मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा किया गया है। 2) उपरोक्त 35 जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन कार्य हेतु कुल 24 मत्स्य बीज उत्पादकों श्री नुरुलेईक अंसारी, श्रीराम प्रसाद चौधरी, श्री चंद्रिका चौधरी, श्री नंद कुमार चौधरी, श्री विनोद चौधरी, श्री उदयकांत उपाध्याय, श्री राजकिशोर चौधरी, श्री अशोक कुमार, श्री प्रशान्त कुमार देव, श्री शंभु चौधर, श्री लालमन चौधरी, श्री मनोज चौधरी, मो0 नौसाद आलम, श्री अश्विनी प्रताप देव, श्री अजय चौधरी, श्री पन्नालाल चौधरी, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री गिरवर कुजूर, श्री बेनेदिक कुजूर, श्री जयप्रकाश कुजूर, श्री संजय चौधरी, श्री सुजीत कुमार चौधरी, श्री प्रभात कुमार देव एवं श्री पंकज प्रताप देव को इस कार्य हेतु गठित समिति के प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों/सदस्यों/सचिवों की उपस्थिति में संचयन का कार्य किये जाने के पश्चात् राशि का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य को निदेशालय स्तर पर गठित त्रि–सदस्यीय कमिटि के द्वारा जॉच कर, राशि के भुगतान का सत्यापन कराया गया है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो फर्जी निकासी के लिए दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध सरकार कौन सी कार्यवाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उत्तर – कंडिका '1' के उपर्युक्त उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

ज्ञापांक–.स0 स0 XI/वि0स0/33/2013–14/1795/मत्स्य/रॉची/ दिनांक: 31/07/2014
उत्तर कुल 200 प्रतियों में अवर सचिव झारखण्ड, विधान सभा को प्रेषित।

31.07.2014
सरकार के उप सचिव
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड

(14)

श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक--02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-- अ.सू. 07 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :--	माननीय मंत्री (प्रभारी) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित केसरे हिन्द भूमि पर विगत 100 वर्ष से अधिक समय से करीब 300 घर बसे हुए है,	स्वीकारात्मक है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि पर निवास करने वाले परिवारों के लगान निर्धारित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष वर्ष 2011 से ही विचाराधीन है,	प्रश्नगत भूखंड बेलगान कैसरे हिन्द भूमि के रूप में खतियान में दर्ज है। इस खाता में पुराना जी.टी. रोड राष्ट्रीय राज्यमार्ग गुजरता है। इस मार्ग के फ्लैंक पर कैसरे हिन्द खाता की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है। जिसका उल्लेख खतियान में है। यह जमीन बेलगान है। अतः इसका लगान निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नियम एवं प्रावधानों के अनुसार कैसरे हिन्द भूमि सरकारी खाता की भूमि है। इस संबध में एक याचिका डब्लू.पी. (पी.आई.एल.) नं0--5077/2013 झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार व्यापक लोकहित में उक्त प्रभावित लोगों को लगान निर्धारण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक-- 6/स०प्र०वि०स०(अ०सू०)-101/14-3065/रा., दिनांक-- 01-08-14

प्रतिलिपि :--अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक--1429/वि.स., दिनांक--25.07.14 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा--12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/8/2014
सरकार के उप सचिव।

Vidhan sabha (lalit)

(15)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 02.08.2014 को पूछा जानेवाला अ०सू० संख्या–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री लोबिन हेम्ब्रम
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् प्रत्येक राशन कार्ड में परिवार के प्रधान महिला सदस्य का नाम सर्वप्रथम अंकित करने का प्रावधान किया गया है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी किये जाने के निमित पात्र गृहस्थ की वरीयतम वयस्क महिला, परिवार की मुखिया होगी।
2– क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले ए०पी०एल०/बी०पी०एल० राशन कार्डों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है;	वर्तमान में निर्गत राशन कार्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्मित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लागू हो जाने के पश्चात् ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 श्रेणी खाद्यान्न वितरण के निमित विलोपित हो जायेंगे तथा सभी लाभुक पात्र गृहस्थ परिवार एवं अन्त्योदय परिवार की श्रेणी में समाहित हो जायेंगे।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वितरित किए जाने वाले राशन कार्डों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप परिवर्तन कर निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तों क्यों ?	नव मुद्रित एवं जिलों को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये राशन कार्डों में हस्तलेखन के माध्यम से परिवार की मुखिया के रूप में वरिष्ठतम महिला का नाम अंकित किया जाना प्रस्तावित है।

ज्ञापांक :– खा०प्र0–6–10 (विधान सभा)–54/2014 –2236 /राँची, दिनांक – 31-07-14

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 1484 वि0स0, दिनांक 29.07.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/2014
सरकार के सचिव।

(17)

श्री मिस्त्री सोरेन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक-02.08.2014 को झारखण्ड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 21 का उत्तर सामग्रीः-

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

कमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जिला-पाकुड़ के अन्तर्गत प्रखंड -महेशपुर में कृषि विभाग के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा ग्राम-कोलाबाड़ी में लगातार दो चेकडैम आपस की कम दूरी पर बनाकर सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया गया है ;	पाकुड़ जिला अन्तर्गत महेशपुर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2009-10 से अब तक ग्राम कोलाबाड़ी में भूमि संरक्षण (कृषि विभाग) द्वारा चेकडैम का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम-लोगांव में द्वितीय हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत श्रृखंलाबद्ध तकनीक के अनुरूप दो चेकडैम का निर्माण कार्य कराया गया है। जो तकनीकी दृष्टिकोण से सही है। दोनों चेकडैम के बीच की दूरी लगभग 1500 फीट है। जिसमें किसी भी तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया गया है। उक्त योजना के दूसरे तरफ वर्ष 2012-13 में कृषकों के मांग एवं सिंचाई सुविधा को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पूर्वी भारत में हरित कांति विस्तार (BGREI) योजना के अधीन उदवह सिंचाई व्यवस्थापन (Lift Irrigation) का कार्य महेशपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम कोलाबाड़ी में कराया गया है। यह योजना भी तकनीकी दृष्टिकोण से सही है एवं इससे किसानों को सिंचाई में काफी सुविधा हो रही है। सिंचाई क्षेत्र में 12-15 हे0 का विस्तार हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि संरक्षण द्वारा बनाये गए प्रखंड-महेशपुर,ग्राम-कोलाबाड़ी, वेनादती, मोयरा बारामसिया आदि में प्राक्कलन के मान दंडों के अनुरुप नहीं है सरकारी पैसे का भारी लूट प्रत्येक योजना में की गयी है ;	पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखण्ड के ग्राम-कोलाबाड़ी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में उदवह सिंचाई व्यवस्थापन (Lift Irrigation) का निर्माण कार्य कराया गया एवं बेनादाती व मोयरा बारामसिया वित्तीय वर्ष 2011-12 में चेकडैम का निर्माण कार्य प्राक्कलन के मापदंडों के अनुरूप कराया गया है जो तकनीकी दृष्टिकोण से सही है। किसानों के लिए यह योजना उपयोगी एवं लाभप्रद है एवं किसी भी योजना में सरकारी पैसे का लूट नहीं किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दंड कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	इस संबंध में उपायुक्त, पाकुड़ से अलग से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाये गये पदाधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-44/14- 2285 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0-1486 दिनांक-29.07.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200(दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-8-14

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स00प्र0-44/14- 2285 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव,कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-8-14

सरकार के संयुक्त सचिव

18

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– अ.सू. 25 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		माननीय, मंत्री (प्रभारी) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में भूदान समिति की गठन नहीं होने से भूदान भूमि वितरण का कार्य शिथिल है, व अवैध कब्जे भी हो रहे हैं,		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है
2. क्या यह बात सही है कि मा0 उच्च न्यायालय ने भी 3125/2012 में फैसले (26.03.14) में चार सप्ताह के अंदर निर्णय लेने को कहा गया था,		माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या–3125/2012 में फैसले के आलोक में विभाग द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है,
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भूदान समिति का गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–7/वि.स. (अल्प सूचित)–390/14 – 3078/रा., दिनांक– 01-08-14

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–1474/वि.स., दिनांक–29.07.14 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/14
सरकार के उप सचिव।

Vidhan sabha (lalit)

(19)

श्री रघुवर दास, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू. सं0–08 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		माननीय, मंत्री (प्रभारी) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर के 86 बस्ती के नागरिक पिछले 50 वर्षों से उक्त जमीन पर जीवनयापन कर रहे हैं।		विभिन्न कालावधि से लोग निवास कर रहे हैं।
2. क्या यह बात सही है कि 86 बस्ती के निवासियों को सवलेसी/मालिकाना हक देने का मामला विगत 20 वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन है,		86 बस्ती के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग उठायी जाती रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार 86 बस्ती के नागरिकों को सवलेसी/मालिकाना हक देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि टाटा लीज भूमि से अलग कर इन 86 बस्तियों का सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है। यह विषय सरकार के संज्ञान में है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–5/ वि.स.अ.सू.–19/14 – 3063/रा., दिनांक– 01-08-14

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–1472/वि.स., दिनांक–29.07.2014 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/8/2014
सरकार के उप सचिव।

(20)

श्री अरुप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में 52 नई परियोजना में पूरे राज्य में 280 पर्यवेक्षिका नौ वर्षो से संविदा के आधार पर कार्यरत है;	स्वीकारात्मक। पूरे राज्य में 286 महिला पर्यवेक्षिका सहित 52 सांख्यिकी सहायक, 52 लिपिक–सह–टंकक (निम्नवर्गीय लिपिक) एवं 52 आदेशपाल का पद संविदा पर सृजित है तदनुसार विभागीय पत्रांक–846 दिनांक–16.07.2005 द्वारा 52 नई स्वीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक–सह–टंकक एवं आदेशपालों आदि के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गयी थी।
2	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो इन महिला पर्यवेक्षिकाओं का स्थायीकरण करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	नियमितिकरण के प्रस्ताव के संबंध में विभाग विचार कर रही है।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क०/वि0स0 अल्पसूचित – 342/2014– 1478 राँची, दिनांक : 31 जुलाई 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० –1468 वि० स० दिनांक –29.07.2014 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/14

(कंचन अंजली मुण्डू)
सरकार के उप सचिव।

21

श्री बन्धु तिर्की, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0– 06 दिनांक 02.8.14 से संबंधित प्रश्नोत्तर सामग्री ।

क0 सं0	प्रश्न	माननीय मंत्री कल्याण का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य से बाहर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 884 एवं अनुसूचित जनजाति के 3899 छात्र–छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 के छात्रवृति का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक झारखण्ड राज्य से बाहर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 903 एवं अनुसूचित जनजाति के 3972 छात्र–छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान बकाया है। वर्ष 2012–13 में राज्य से बाहर अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति राशि का भुगतान किया जा चुका है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार झारखण्ड राज्य से बाहर अध्ययनरत अनुसूचित जाति को 884 एवं अनुसूचित जनजाति को 3899 छात्र–छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की छात्रवृति का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2013–14 तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति अन्तर्गत बकाया राशि का भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से अतिरिक्त आवंटन की मॉग की गई है। आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–4/वि0स0प्र0छात्रवृति– 04/2014–क0– 1739 रॉची, दिनांक– 01/08/14

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञापांक 1299 दिनांक– 26.7.14 के प्रसंग में दो सौ अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

1/8/14
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(22)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–26 की उत्तर सामग्री ।

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के धनबाद एरिया बोर्ड अन्तर्गत धनबाद एवं बोकारो जिला में 189 मैनडेज कर्मी के स्वीकृत पद है, परन्तु वर्त्तमान समय में 421 मैनडेज कर्मी कार्यरत हैं ।	आंशिक स्वीकारात्मक है । विद्युत आपूर्ति अंचल, धनबाद के अंतर्गत मानव दिवस कर्मी की स्वीकृति संख्या निम्न प्रकार है :– फिल्ड के लिए मानव दिवस कर्मी – 94 मानव दिवस कर्मी बटन पट चालक– 18 मानव दिवस हेल्पर – 19 कुल – 131 उक्त स्वीकृति के विरूद्ध बटन पट चालक एवं मानव दिवस हेल्पर कुल 37 मानव दिवस को कार्य में उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जाता है । फिल्ड मानव दिवस का कुल 94 स्वीकृत मानव दिवस के आधार पर कार्यरत् कुल 221 मानव दिवस को आवंटित स्वीकृत मानव दिवस के आधार पर वास्तविक मानव दिवस को प्राप्त निधि एवं कार्य के अनुसार समानुपातिक रूप में भुगतान किया जाता है । विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, धनबाद के अन्तर्गत चास अंचल के क्षेत्र में कार्य हेतु 49, बटन–पट– चालक–19 एवं खलासी के रूप में कार्य हेतु 18 मानव दिवस कर्मी के पद बोर्ड द्वारा स्वीकृत है । उपरोक्त के आलोक में 163 मानव दिवस कर्मी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र एवं विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कार्य लिया जाता है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त मैनडेज कर्मियों से महीनों के तीसों दिन कार्य तो लिया जाता है, परन्तु मजदूरी मात्र 4,6,10 दिनों का ही दिया जाता है:	अस्वीकारात्मक है । मानव दिवस कर्मियों से जितने दिनों का कार्य लिया जाता है उतने ही दिनों का भुगतान किया जाता है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त मैनडेज कर्मियों को कार्य दिवस के आधार पर न्यूनतम मजदूरी देते हुए इनका सेवा नियमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	मानव दिवस कर्मियों को न्यूनतम निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है । मानव दिवस कर्मियों/संविदा पर पूर्व से कार्य कर रहे कर्मियों की नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है ।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1672 / दिनांक 01-08-14.

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को असकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/8/14

सरकार के उप सचिव

(23)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू० –17 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत कपाली क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर जर्जर होने के कारण दयनीय है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि कपाली क्षेत्र में छोटे–छोटे कई उद्योग स्थापित है जो बिजली पर आधारित है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कपाली क्षेत्र में पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कपाली क्षेत्र के जर्जर तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए सर्वे किया जा रहा है तथा प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात् दिसम्बर 2014 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1665 /

दिनांक 01-08-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/14

सरकार के उप सचिव

(24)

श्री निजामुद्दीन अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू. –14 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री निजामुद्दीन अंसारी, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला के घोरडीहा पावर ग्रीड से राजधनवार, गांव तिसरी प्रखण्ड को जोड़ने हेतु 33,000 लाईन विस्तार कार्य डी0भी0सी0 ने दो वर्षो में पूर्ण नहीं किया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राजधनवार, गांव तिसरी प्रखण्ड में विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं के आन्दोलन में विभाग के सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता ने दिनांक 31.05.2014 को मेरे समक्ष उपभोक्ताओं को लिखित आष्वासन दिये कि डी0भी0सी0 द्वारा खण्ड (1) में वर्णित 33,000 लाईन विस्तार कार्य तीन महीने में समाप्त कर राजधनवार, गांव तिसरी के शक्ति उपप्रतिष्ठान से जोड़ दिया जायेगा;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड (2) में वर्णित 33,000 लाईन विस्तार का कार्य जनहित में पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	डी0भी0सी0 द्वारा पुनः कार्य का आरम्भ किया गया है, वर्षा के कारण कार्य में बाधा हो रही है। डी0भी0सी0 द्वारा इस कार्य को दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1666 / दिनांक 01-08-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/14

सरकार के उप सचिव

(25)

डॉ॰ सरफाज अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ॰सू॰–22 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता डॉ॰ सरफराज अहमद, माननीय स॰वि॰स॰	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के टुण्डी प्रखण्ड के बी0पी0एल0 लाभुक को मात्र रू0 49/–(उनचास रूपये) प्रतिमाह की दर से बिजली बिल का भुगतान करने की सुविधा प्राप्त है ;	स्वीकारात्मक है। टुण्डी प्रखंड के बी0पी0एल0 लाभुकों को टैरिफ "D/S-I(a) AC,50 Cycles, Single phase at 230 Volts for Kutir Jyoti Connection for load upto 100 watt" के नियम एवं शर्त के तहत् विपत्र बनाया जाता है। उदाहरण स्वरूप टुण्डी प्रखंड के कुछ उपभोक्ताओं का विपत्र के विवरण निम्न प्रकार है:– 1. BPTB -198 बासूकी ठाकुर बगजोरी, टुण्डी प्रखंड –रु॰ 48/– 2. BPTB -467 दलु महतो, टुण्डी प्रखंड –रु॰ 48/– 3. BPTB -469 बीरबल रजक,टुण्डी, टुण्डी प्रखंड –रु॰ 48/–
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के टुण्डी प्रखण्ड से मात्र 02(दो) किलो मीटर की दूरी पर गिरिडीह जिला के गाण्डे प्रखण्ड में निवास कर रहे बी0पी0एल0 लाभुकों से रू0 123.48 प्रतिमाह की दर से बिजली बिल की वसूली की जाती है;	जाँचोपरान्त बी॰पी॰एल॰ सूची के सभी लाभुकों को जिनका संयोजित विद्युत भार, स्वीकृत विद्युत भार से ज्यादा पाया गया उनका Tariff बदलते हुए D/S I कर दिया गया एवं विपत्रीकरण निगम के ए Tariff के अनुसार किया जा रहा है। जिसका दर प्रति किलोवाट 120 रु॰ प्रतिमाह है।
3. क्या यह बात सही है कि बिजली बिल की दर में एकरूपता नहीं होने के कारण बिजली के मद में गिरिडीह जिला के गाण्डे प्रखण्ड के बी0पी0एल0 लाभुकों को उंची दर पर बिजली बिल भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है;	कंडिका 2 में स्पष्ट किया गया है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बिजली बिल की दर में एकरूपता लाकर जिला के गाण्डे प्रखण्ड के बी0पी0एल0 लाभुकों को भी उँची दर पर भुगतान कर रहे बिजली बिल से ऋण देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	माननीय झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय की जाती है। माननीय आयोग के निदेशानुसार यदि बी0पी0एल0 कनेक्शन 100 वाट से ज्यादा का विद्युत भार संयोजित करते हैं तो उनका विपत्रीकरण DS I(b) कोटि में किया जाता है और तदनुकूल रु॰ 120/– प्रतिमाह की वसूली की जाती है। दरें और शर्तें माननीय आयोग द्वारा तय की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1669 /

दिनांक 01-08-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/14

सरकार के उप सचिव

26

श्री राम चन्द्र बैठा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02–08–2014 को पूछे जानेवाले

अल्पसूचित प्रश्न संख्या –11 का उत्तर सामग्री।

क्रम	अतारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिला बोकरो प्रखण्ड–पेटरवार, ग्राम–काटमकल्ही, निवासी फुदो देवी फैक्स द्वारा दिनांक–23.07.2014 को एवं निबंधित डाक सं0–ARJ 016608690 IN दिनांक–23.07.2014 के माध्यम से उपायुक्त बोकरो को आवेदन जमा देकर भूखो मरने की स्थिति की जानकारी देते हुए अजिविका सुरक्षा के लिए अनुरोध किया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड (1) का उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त असहाय गरीब परिवार को अजिविका सुरक्षा प्रदान करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	असहाय परिवार को अजिविका सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपायुक्त बोकारो का पत्रांक–1487 (i) दिनांक–31.07.2014 मनरेगा योजनान्तर्गत अविलम्ब जॉब कार्ड बनाकर कार्ड आवंटित करने हेतु ओदश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने पत्रांक–518 दिनांक–01.08.2014 द्वारा सूचित किया है कि असहाय परिवार लाल कार्ड धारी है जिसका कार्ड सं0–7773758 है तथा प्रत्येक माह 35 (पैतीस) किलो ग्राम अनाज दिया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क० /वि0स0 आ0सू0– 341/2014 – 1494 राँची, दिनांक : 01 अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1467 दिनांक–29.07.2014 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव अरुण एक्का)
सरकार के सचिव।

(27)

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी,, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–13 की उत्तर सामग्री

क्र0	अल्प–सूचित प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिले के ग्राम मारंगमरचा में भैरवी नदी के पास शीत गृह निर्माण कार्य कल्याण विभाग के द्वारा वर्ष 2006 से किया जा रहा है, जो अधुरी एवं चालू हालत में नहीं है	स्वीकारात्मक
2	यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के गोला, दुलमी, चितरपुर प्रखण्ड राज्य में सब्जी उत्पादन में अग्रणीय है। शीत गृह निर्माण का कार्य अधूरा एँवं चालू हालत में नहीं रहने के कारण भण्डारण एवं शीतलन का कार्य नहीं हो रहा है। जिसके कारण उक्त क्षेत्रों के किसान को भारी क्षति हो रही है	स्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अधूरा शीत गृह का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है जिससे भण्डारण एवं शीतलन का कार्य प्रारम्भ किया जा सके हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्यकारी एजेन्सी नेशनल बिल्डिंग्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, धुर्वा, राँची द्वारा अपने पत्रांक–1206 दिनांक –31.07.14 द्वारा सूचित किया गया है कि शीतगृह का निर्माण कार्य निर्माण स्थल पर विद्युत आपूर्ति नही होने के कारण लंबित था। वर्तमान में वहाँ पर ट्रांसफार्मर एवं विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है। शेष निर्माण कार्य पूरा कर दिनांक–30.09.2014 तक हस्तांतरित (Handover) कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 07 / वि0 स0 प्र0–33 / 2014 – 1738 राँची, दिनांक– 01/08/14

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1470 दिनांक–29.07.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/14

(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–01 की उत्तर सामग्री

28

प्रश्नकर्त्ता श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि दुमका जिलान्तर्गत प्रखण्ड रानेश्वर के शादीपुर सब–स्टेशन के 3.15 एम0भी0ए0 का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है;	स्वीकारात्मक। ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, लेकिन उसे ठीक कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि शादीपुर सब–स्टेशन से जुड़े 25–30 गाँवों के लोग विद्युत सुविधा से वंचित हैं;	अस्वीकारात्मक। विद्युत की आपूर्ति हो रही है।
3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सब–स्टेशन के ट्रांसफार्मर का विद्युत वितरण क्षमता कम है;	स्वीकारात्मक। विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उच्च क्षमत का ट्रांसफार्मर लगाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर दिनांक–30.09.2014 तक उपलब्ध होने की संभावना है। ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही लगा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1657 / दिनांक 31-07-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/14

सरकार के उप सचिव

(29)

माननीय स०वि०स०, श्री नलिन सोरेन के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० – 03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिलान्तर्गत रानेश्वर प्रखंड के मसानजोर डैम का बांया तट नहर का मसानजोर से ग्राम बेनबुनी, पंचायत हरिपुर तक पक्कीकरण व लाइनिंग का कार्य नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पक्कीकरण कार्य व लाइनिंग नहीं होने के कारण नहर के पानी की काफी बर्बादी होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पानी के बहाव के कारण अगल–बगल के खेतों में मिट्टी एवं बालू भर गया है तथा 40 गाँवों के किसान पटवन की सुविधा से बंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार मसानजोर डैम के बांया तट नहर का पक्कीकरण लाईनिंग का कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मसानजोर डैम के बांया तट नहर का पक्कीकरण लाईनिंग कार्य प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–23/14 – 7475 **/राँची, दिनांक** 1-8-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1300 दिनांक 24.07.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(30)

श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक-02.08.2014 को झारखण्ड विधान सभा में पूछे जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 24 का उत्तर सामग्रीः-

उत्तरदाताः- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

कमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बाघमारा प्रखण्ड के विभिन्न ग्रामों में बी0आर0जी0ई0आई0 योजना के तहत एम0टी0यू0 1010 धान बीज की आपूर्ति की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त बीज के फसल में समय से पूर्व बाली आ जाने से सैकड़ों किसानों की फसल बरबाद हो गई थी ;	धान के फसल में 45-50 दिनों में ही फूल निकलनें की सूचना मिलने पर विभागीय स्तर से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के माध्यम से विषय की जाँच की गई थी। जाँच में पंचायत के मुखिया एवं प्रखंड प्रमुख भी सम्मिलित थे। जाँच में पाया गया कि धान के पौधें का समुचित विकास नहीं हुआ है तथा साथ ही फूल भी निकले हुए है। जाँच समिति द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि किसानों को वितरित धान बीज एम0टी0यू0 1010 के साथ किसी दूसरे प्रजाति का मिश्रण भी है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में फसल बरबाद होने के बाद से स्थानीय किसानों द्वारा मुआवजा व क्षतिपूर्ति कीं मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है ;	स्थानीय किसानों के द्वारा मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा व क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	स्थानीय किसानों की मांग के आलोक में उपायुक्त, धनबाद को प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा भुगतान हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स0प्र0-43/14- 2283 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0-1487 दिनांक-29.07.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.8.14

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-9/कृ0वि0स00प्र0-43/14- 2283 राँची, दिनांक- 01.08.14

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव,कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।